रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 1984/कार्तिक 24, 1906
No. 440] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 1984/KARTIKA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1984

मा. का. नि. 764(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 9(अ) तारीख 4 जनवरी, 1984 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 4 जनवरी, 1984 के पृष्ठ 10 से 8 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी नब्बे दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 4 जनवरी, 1984 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी , और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

नियम :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण तीसरा (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे सिवाए नियम 2, 3, 4, 5, 7(क), 9, 10 (ख) 14(ख) और 14 (ग) के जो ऐसे प्रकाशन की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 26, में—(क) खंड (छ) का लोप किया जाएगा, (ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्—

4. स्पष्टीकरण : तेल में अन्तरों रंग का घोल तैयार करने में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" में सूचीबद्ध किसी भी खाद्य वनस्पति तेल का अकेले या किसी के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा और प्रयोग किए गए तेल या तेलों के नाम नियम 42 के उपनियम (2) में यथा उपबंधित के अनुसार लेबल पर उल्लिखित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 29 में,—

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) बोतलबन्द या डिब्बाबन्द स्ट्राबेरी और चेरी, बोतलबन्द या डिब्बाबन्द मटर, परिरक्षित या प्रसंस्कृत पपाया, डिब्बाबन्द टमाटर का रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, (शर्बत) फल पेय या फल मदिरा, मुरब्बा और मार्मलेड" (ii) खण्ड (i) का लोप किया जाएगा ;

4. उक्त नियमों के नियम 42 में उप नियम (म) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2(य) जिन पैकेजों में वनस्पति तेलों में अनाटो रंग अन्तर्विष्ट है उन पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् :—

"तेल में अनाटो रंग
प्रयोग किया गया
[तेल/तेलों का नाम]"

5. उक्त नियमों के नियम 48 ग में, खण्ड(vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

II (vi) सभी खाद्य रंगों का जिनके अन्तर्गत उनके केसरी और पीले रंग से भिन्न प्राकृतिक रंजक पदार्थ और अनुज्ञात कोलतार खाद्य रंग, उनकी निर्मिति या सम्मिश्रण भी है, विक्रय केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिह्न के अधीन किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 53 में,—

(क) खण्ड (अ) में, —

(i) मद (ट) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा,

(ii) मद (ट) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद सं० और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

"(ड) खाद्य वनस्पति तेल,

(ख) खण्ड (ii) में, मद (ङ) में शब्द "और" का लोप किया जाएगा और मद (च) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(छ) मेथिल या प्रोपिल पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक,

(ज) प्रोपियोनिक अम्ल, जिसके अंतर्गत एस्टर या उनके लवण हैं,

(झ) सोडियम डाईएसीटेट और

(ञ) सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम और लैक्टिक अम्ल के लवण।"

7. उक्त नियमों के नियम 55 में की सारणी में,—

(क) मद सं. 2 में उपमद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(क) चेरी	सल्फरडाईआक्साइड	2000"

(ख) मद 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"32 (क) सूप (डिब्बाबंद सूप से भिन्न)	सल्फरडाईआक्साइड	150
(ख) सूखा सूप		1500
(ग) निर्जलित सूप मिश्रण जब डिब्बों से भिन्न आधानों में भी पैक किया जाता है।		1500
33 फल और शाक शर्करा पाउडर, अजीर	सल्फरडाइआक्साइड	600
34 मांसल खाद्य के लिए आटा	सोडियम डाईएसीटेट या प्रोपायनेट	2500
	या मैथिल या प्रोपिल हाइड्रोक्सी बैनजोएट	500

8. उक्त नियमों के भाग 10 में नियम 55क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"55ख. नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के प्रयोग पर निर्बंधन—

किसी शिशु आहार में कोई नाइट्रेट या नाइट्राइट नहीं मिलाया जाएगा।"

9. उक्त नियमों के भाग II में निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग IIक फसल संदूषण और प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला पदार्थ

57-क फसल संदूषण—(1) फसल संदूषण से ऐसे पदार्थ अभिप्रेत हैं जो खाद्य में साशय नहीं मिलाया जाता है, किन्तु जो खाद्य पदार्थों में उनके उत्पादन की प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत खेती करने, पशुपालन और पशु औषधि में की गई संक्रियाएं भी हैं), विनिर्माण, प्रसंस्करण निर्मिति, अभिक्रियान्वयन, पैक करने, पैकेज करने या ऐसी खाद्य वस्तुओं के परिवहन पकड़ना में—

पर्यावरण संदूषण के परिणाम स्वरूप मिल जाते हैं।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ में उक्त सारणी के स्तंभ (I) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट केवल संदूषण, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होंगे।

संदूषण का नाम	खाद्य सामग्री	मि. ग्रा. कि० ग्रा०
1	2	3
एफ्लाटोक्सीन	सभी खाद्य सामग्री	0.03

57-ख. प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थ—

नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विषैले पदार्थ जो किसी खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट परिसीमा से अधिक नहीं होंगे।

सारणी

पदार्थ का नाम	अधिकतम परिसीमा
1	2
एगेरिक अम्ल	100 पी. पी. एम.
हाइड्रोसायनिक अम्ल	5 पी. पी. एम.
हाइपरिसीन सैफरोल	1 पी. पी. एम.
	10 पी. पी. एम.

10. उक्त नियमों के नियम 59 में—

(क) पहले परन्तुक में मद 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"5 एस्कोर्बिल पालमीटेट 0.2 प्रतिशत"

(ख) पांचवे परंतुक में, "ब्यूटिलेटिड हाइड्रोक्सी टाल्यूइन (बी. एच टी.) या तो अकेला या संयुक्त रूप से" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 62 में के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) परन्तु खाद्य नमक, प्याज के पाउडर, लहसुन के पाउडर, फलों के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप में 2.0 प्रतिशत से अधिक की मात्रा में नहीं होंगे, अर्थात् :—

(1) कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट

(2) कैल्शियम और मैग्नेशियम के फास्फेट

(3) कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सोडियम के सिलिकेट या सिलिकन डाईआक्साइड

(4) एल्युमिनियम अमोनियम, कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम के माइरिस्टेट, पाल्मीटेट या सिट्रेट।"

12. उक्त नियमों के भाग 13 में—

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :— "भाग 13—मुर्गविकारक और सबंधित पदार्थ"

(ख) नियम 64, 64 क, 64 क क और 64 ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"64.—मुर्गविक में विलायक—डाइएथिलीन ग्लायकोल और मोनोएथिल कार्बेटर को मुर्गविक में विलायक के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

64-क. मुर्गविक में प्रति आक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक और खाद्य परिरक्षी का उपयोग—मुर्गविकारकों में अनुज्ञात प्रतिआक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक और खाद्य परिरक्षी होंगे।

64-ख. मोनोसोडियम और ग्लूटामेट का उपयोग—मोनोसोडियम, ग्लूटामेट का उपयोग—मोनोसोडियम, ग्लूटामेट खाद्य पदार्थ में मिलाया जा सकेगा परन्तु यह तब जब कि तैयार खाद्य पदार्थ में, कुल ग्लूटामेट की अन्तर्वस्तु 1 प्रतिशत से अधिक न हो। यह किसी ऐसे आहार में नहीं मिलाया जाएगा जो बारह मास से कम आयु के शिशु द्वारा उपयोग के लिए है।

13. उक्त नियमों के भाग 15 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 16 प्रच्छादक उभय प्रतिरोधक (अम्ल क्षारक और लवण)

70. प्रच्छादकों की परिभाषा :—प्रच्छादक वे पदार्थ हैं जो कीलेट बनाने वाले खाद्यों के आक्सीकरण रुकावट का उत्प्रेरण वाली धातुओं के प्रतिकूल प्रभाव को रोकता है, जिससे कि विरंजीकरण अस्वाद और विकृत गंध को रोका जा सके।

71. उभय प्रतिरोधीकारकों की परिभाषा :—उभय प्रतिरोधी कारक वे पदार्थ हैं जो, भंडारकरण और प्रसंस्करण के दौरान अम्लता और क्षारीय परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि खाद्यों की सरुचि और स्थायीतत्व बढ़ जाता है।

72. प्रच्छादकों और उभय प्रतिरोधी कारकों के उपयोग पर निर्बंधन—इन नियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रच्छादक और उभय प्रतिरोधी कारक उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट खाद्य के समूह में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अनधिक मात्रा में उपयोग किए जा सकेंगे।

सारणी

प्रच्छादक और उभय प्रतिरोधी कारकों के नाम	खाद्य के समूह	उपयोग का अधिकतम स्तर 1 भाग प्रति दस लाख पी (पी एम) (मि ग्रा/कि ग्रा)
1	2	3
1. एसीटिक अम्ल	(1) पेयों, गुदु पयों में आम्लीकारक, उभय प्रतिरोधी कारक और निष्प्रभावन कारक	जी एम पी द्वारा परिसीमित
	(2) डिब्बा बंद शिशु आहार	5,000
2. एडिपिक अम्ल	प्रतिस्थानी लवण और आहारीय खाद्य	250
3. अमोनियम फास्फेट एक क्षारकी	डबलरोटी का स्वादवर्धक	2,500
4. अमोनियम कार्बोनेट	अंगित खाद्यों, मिष्ठानों के लिए किण्वन कारक मिष्ठानों में	5,000
5. कैल्शियम ग्लूकानेट		2,500
6. कैल्शियम कार्बोनेट	कई खाद्यों में निष्प्रभावन कारकों के रूप में।	10,000
7. कैल्शियम आक्साइड	विनिर्दिष्ट डेरी उत्पादों में निष्प्रभावन कारक के रूप में	2,500
8. सिट्रिक अम्ल मालिक अम्ल	कार्बोनिटिड पेय और प्रकीर्ण खाद्यों में आम्ली कारक के रूप में	जी एम पी द्वारा परिसीमित
9. ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन	किण्वन कारक संसाधित मांस और मांस उत्पाद	5,000
10. डी एल लैक्टिक अम्ल (खाद्य ग्रेड)	प्रकीर्ण खाद्यों में आम्लीकारक के रूप में	जी एम. पी द्वारा परिसीमित
11. फास्फारिक अम्ल	पेय मृदुपेय	6,00
12. 6 फास्फेट अणुओं से कम पोलिफास्फेट वाले	(क) संसाधित पनीर, उपल पनीर	10,000
	(ख) दुग्ध विनिर्मितियां	1,000
	(ग) केक मिश्रण	10,000
	(घ) प्रोटीन खाद्य आम्लीकारक	4000
13. एल (+) टार्टरिक अम्ल	आम्लीकारक	6,00

टिप्पण :— डी एल. लैक्टिक अम्ल और एल (+) टार्टरिक अम्ल 12 मास से कम आयु के बच्चों के खाद्य में नहीं मिलाए जाएंगे (लैक्टिक अम्ल, भारतीय मानक संस्था अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप भी होगी।)"

14. उक्त नियमों के परिशिष्ट "ख" में :—

(क) मद क. 10 07 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"क" 10 08 कस्टर्ड पाउडर से ऐसा पाउडर अभिप्रेत है जो मिठाशनिया मिलाकर (एन) टीव, (कैर, मैग्यूमिनोमाग)

के भुनीफालियो से प्राप्त होता है और भूसी से मुक्त होगा। यह किसी कृत्रिम रंजक सुरुचिकारक बाह्य पदार्थ या कावन पदार्थ से मुक्त होगा और विकृत या घृणाजनक सुरुचि से मुक्त अच्छी सूखी और ताजा हालत में होगा। यह निम्नलिखित मानको के अनुरूप भी होगा; अर्थात् —

"(i) कुल भस्म — भार मे 1.2 प्रतिशत से अधिक नही

(ii) तनु अभिलेख — भार मे 5 प्रतिशत से अधिक नही।

(iii) टैनि असर्वस्तु — 0.1 प्रतिशत से कम नहीं और 0.15 प्रति मे अधिक नहीं।"

(ख) मद क 16.01 16.03-ग के 16 03, क 16.04, क 16 05 क. 16.06 क 16 07, क 16 09 और क 16 12 मे "फयूमेरिक अम्ल का उपयोग 0.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है।" शब्दो और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ग) मद क. 16 02 मे, —

(i) खंड (घ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार लोप किए गए खंड (घ) के पश्चात् में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु यह कि डिब्बा बंद टमाटर रस में बाह्य अनुज्ञात रंग होगा,"

(iii) अंत मे आने वाले "फयूमरिक अम्ल, का उपयोग 0 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है।" शब्दो और अंको का लोप किया जाएगा।

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 से संबंधित मूल नियम प्रथम बार भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3 मे का. नि. आ. 2106, तारीख 12.9.55 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमे निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए—

1 का. नि. आ. 1202, तारीख 26 5.56
2. का. नि. आ. 1687, तारीख 28.7 56
3. का. नि. आ. 2213, तारीख 28 9.56 (असाधारण)
4. का. नि. आ. 2755, तारीख 24.11.56

उसमे किए गए और संशोधन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i) मे निम्न प्रकार प्रकाशित किए गए थे.—

5 सा. का. नि. 514, तारीख 28.6.58
6. सा. का. नि. 1211, तारीख 20 21.58
7. सा. का. नि. 425, तारीख 4 4.60
8. सा. का. नि. 169, तारीख 11.2.61
9. सा. का. नि. 1134, तारीख 16.9.61
10. सा. का. नि 1340, तारीख 4 11.61
11. सा. का. नि 1564, तारीख 24.11.61
12 सा. का. नि. 1580, तारीख 20.10.64
13. सा. का. नि. 1814, तारीख 11.12.65
14. सा. का. नि. 74, तारीख 8.1 65
15. सा. का. नि. 382, तारीख 19.3.66
16. सा. का. नि. 1256, तारीख 26.8 67
17. सा. का. नि 1533, तारीख 24.8.68
18. सा. का. नि. 2163, तारीख 14.12.68 (शुद्धिपत्र)
19. सा. का. नि. 532, तारीख 8.3.69
20. सा. का. नि. 1764, तारीख 26.7.69 (शुद्धिपत्र)
21 सा. का. नि. 2068, तारीख 30.8.69
22. सा. का. नि. 1869, तारीख 21.10.70
23. सा. का. नि. 938, तारीख 12.6 71
24. सा. का. नि. 992, तारीख 3.7.71
25. सा. का. नि. 553, तारीख 6.5.72
26 सा. का. नि. 436 (अ) तारीख 10 10.72
27. सा. का. नि. 133, तारीख 10 2 73
28 सा. का. नि. 205, तारीख 23.2 74
29. सा. का. नि. 850, तारीख 12.7 75
30. सा. का. नि. 508, (अ) तारीख 27 9 75
31. सा. का. नि. 63 (अ) तारीख 5 2.76
32 सा. का. नि. 754, तारीख 29.5 76
33 सा. का. नि. 856, तारीख 12 6 76
34 सा. का. नि 1417, तारीख 2.10.76
35. सा. का. नि. 4(अ) तारीख 4 1 77
36 सा. का. नि. 18(अ) तारीख 15 1 77
37. सा का नि 651 (अ), तारीख 20-10-77
38 सा का नि 732 (अ), तारीख 5-12-77
39 सा.का.नि. 775 (अ), तारीख 27-12-77
40 सा.का.नि. 36 (अ) तारीख 21-1-78
41 सा का नि. 70 (अ), तारीख 8-2-78
42 सा.का.नि. 238 (अ) तारीख 20-4-78
43 सा.का.नि 393 (अ), तारीख 4-8-78
44 सा.का नि 590 (अ) तारीख 23-12-78
45 सा.का नि. 55 (अ) तारीख 31-1-79
46 सा.का नि 142 (अ), तारीख 16-3-79 (शुद्धिपत्र)
47 सा का नि 231 (अ), तारीख 6-4-79
48 सा.का नि 423, तारीख 30-6-79 (शुद्धिपत्र)
49. सा.का नि 1043, तारीख 11-8-79 (शुद्धिपत्र)
50 सा.का नि. 1210, तारीख 29-9-79 (शुद्धिपत्र)
51. सा.का नि. 19 (अ), तारीख 28-1-80
52 सा.का नि 243, तारीख 1-3-80
53 सा.का.नि 244, तारीख 1-3-80
54. सा.का नि 996, तारीख 8-9-80 (शुद्धिपत्र)
55. सा.का.नि 579 (अ) तारीख 13-10-80
56. सा.का.नि 652 (अ) तारीख 14-11-80
57 सा.का.नि 710 (अ) तारीख 22-12-80
58. सा.का.नि 23 (अ) तारीख 16-1-81
59 सा.का.नि. 205 (अ) तारीख 25-3-81 (शुद्धिपत्र)
60. सा.का.नि. 290 (अ) तारीख 13-4-81
61. सा.का नि. 114, तारीख 2-5-81 (शुद्धिपत्र)
62 सा का.नि. 503 (अ) तारीख 1-9-81
63 सा का नि 891, तारीख 3-10-81 (शुद्धिपत्र)
64 सा.का नि. 1056, तारीख 5-12-81 (शुद्धिपत्र)
65. सा.का.नि. 80 तारीख 23-1-82 (शुद्धिपत्र)
66. सा.का.नि 44 (अ) तारीख 5-2-82
67. सा का.नि. 57 (अ) तारीख 11-2-82
68. सा का नि 245 (अ), तारीख 11-3-82
69 सा.का.नि. 307 (अ) तारीख 3-4-82 (शुद्धिपत्र)
70. सा का नि. 386, तारीख 17-4-82 (शुद्धिपत्र)
71 सा.का नि. 422 (अ), तारीख 24-5-82
72 सा का.नि. 476 (अ) तारीख 29-6-82
73. सा.का.नि. 504 (अ), तारीख 20-7-82
74 सा.का.नि. 753 (अ) तारीख 11-12-82 (शुद्धिपत्र)
75 सा.का नि. 109 (अ), तारीख 26-2-83

76. सा.का.नि. 219 (अ), तारीख 9-3-83
77. सा.का.नि. 268 (अ), तारीख 16-3-83
78. सा.का.नि. 283 (अ), तारीख 26-3-83
79. सा.का.नि. 319 (अ), तारीख 14-4-83 (शुद्धिपत्र)
80. सा.का.नि. 539 (अ), तारीख 1-7-83 (शुद्धिपत्र)
81. सा.का.नि. 634, तारीख 9-9-83 (शुद्धिपत्र).
82. सा.का.नि. 745 तारीख 8-10-83 (शुद्धिपत्र)
83. सा.का.नि. 790 (अ), तारीख 10-10-83
84. सा.का.नि. 803 (अ), तारीख 27-10-83
85. सा.का.नि. 816 (अ), तारीख 3-11-83
86. सा.का.नि. 829 (अ), तारीख 7-11-83
87. सा.का.नि. 848 (अ), तारीख 19-11-83
88. सा.का.नि. 893 (अ), तारीख 17-12-83
89. सा.का.नि. 113 (अ), तारीख 20-1-84 (शुद्धिपत्र)
90. सा.का.नि. 500 (अ), तारीख 9-7-84
91. सा.का.नि. 612 (अ), तारीख 18-8-84 (शुद्धिपत्र)
92. सा.का.नि. 744 (अ), तारीख 27-10-84

[सं. 15014/6/82-पी. एच (एफ एण्ड एन) पी एफ ए]

एस. वी. सुब्रामण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 15th November, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 764(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. 9(E), dated the 4th Jan., 1984 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th January, 1984 at pages 1—8, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th January, 1984 and the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publicatio in the Official Gazette except rules 2, 3, 4, 5, 7(a), 9, 10(b), 14(b) and 14(c) which shall come into force after one year from the date of such publication.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 26,—

(a) clause (g) shall be omitted;

(b) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation :—In the preparation of the solution of annatto colour in oil, any edible vegetable oil listed in Appendix 'B' to these rules may be used either singly or in combination and the name of the oil or oils used shall be mentioned on the label as provided in sub-rule (Z) of rule 42."

3. In rule 29 of the said rules,—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) bottled or canned strawberries, and cherries, bottled or canned peas, preserved or processed papaya, canned tomato juice, fruit syrup, fruit squash, fruit beverage or fruit drink, jam and marmalade";

(ii) clause (l) shall be omitted;

4. In rule 42 of the said rules, after sub-rule (v), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(z) A package containing annatto colour in vegetable oils shall bear the following label, namely :—

Annatto colour in oil (Name of oil/oils) used"

5. In rule 48-A of the said rules, for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely :—

"(vi) All food colours, including natural colouring matter and permitted coaltar food colours, their preparation or mixtures, except saffron and curcumin, shall be sold only under Indian Standards Institution Certification mark."

6. In rule 53 of the said rules,—

(a) in clause (i),—

(i) item (c) and entry relating thereto, shall be omitted;

(ii) after item (k) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

"(l) edible vegetable oil;"

(b) in clause (ii), in item (e), the word "and" shall be omitted and after item (f) and the entry relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely :—

"(g) Methyl or propyl Parahydroxy-Benzoate.

(h) Propionic acid, including esters or salts thereof.

(i) sodium diacetate, and

(j) sodium, potassium and calcium salts of lactic acid."

7. In rule 55 of the said rules, in the table—

(a) in item No. 2, for sub-item (a) and entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely :—

"(a) cherries	Sulphurdioxide	2000"

(b) after item 31 and the entries relating thereto the following items and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"32. (a) Soups (other than canned)	Sulphurdioxide	150
(b) Dried soups	Sulphurdioxide	1500
(c) Dehydrated soup mix, when packed in containers other than cans	Sulphurdioxide	1500

1	2	3
33 Fruits and vegetable, flakes, powder, figs	Sulphurdioxide	600
34 Flour for baked food	Sodium diacetate or Propionates or	2500
	Methyl propyl hydroxy	3200
	Benzoate	500"

8 In part X of the said rules after rule 55A, the following rule shall be inserted, namely —

"55B Restriction on use of nitrate and nitrite —No nitrate or nitrite shall be added to any infant food "

9 After Part XI of the said rules, the following Part shall be inserted, namely —

"PART XIA—CROP CONTAMINANTS AND NATURALLY OCCURRING TOXIC SUBSTANCES

57 A Crop contaminants (1) Crop contaminant means any substance not intentionally added to food, but which gets added to articles of food in the process of their production (including operations carried out in crop husbandry, animal husbandry and veterinary medicine) manufacture, processing, preparation treatment packing, packaging, transport or holding of articles of such food as a result of environmental contamination

(2) No article of food specified in column (2) of the Table below shall contain any crop contaminant specified in the corresponding entry in a column (1) there of in excess of quantities specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table

Name of the contaminants (1)	Article of Food (2)	mg/kg (3)
Aflatoxin	All articles of food	0 03

57 B-NATURALLY OCCURRING TOXIC SUBSTANCES

The toxic substances specified in column (1) of the Table below, which may occur naturally in any article of food, shall not exceed the limit specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table —

TABLE

Name of substance (1)	Maximum limit (2)
Agaric acid	100 ppm
Hydrocyanic acid	5 ppm
Hypericine	1 ppm
Safrole	10 ppm

10 In rule 59 of the said rules,—

(a) in the a proviso for item 5 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely —

"5 Ascorbyl Palmitate 0 02 per cent "

(b) in the fifth proviso, the word brackets and letters "and butylated hydroxytoluene (BHT) either singly or in combination shall be omitted

11 In rule 62 of the said rules, for the proviso, the following proviso shall be substituted namely —

"Provided that table salt, onion powder garlic powder, fruit powder and soup powder may contain the following anticaking agents in quantities not exceeding 2 0 per cent, either singly or in combination namely —

(1) carbonates of calcium and magnesium

(2) phosphate of calcium and magnesium

(3) silicates of calcium, magnesium aluminium or sodium or silicon dioxide

(4) myristates, palmitates or stearates of aluminium ammonium calcium potassium or sodium

12 In part XIII of the said rules,—

(a) for the heading the following heading shall be substituted namely —

"PART-XIII - FLAVOURING AGENTS AND RELATED SUBSTANCES"

(b) for rules, 64, 64A, 64AA and 64B the following rules shall be substituted, namely —

"64—Solvent in flavour —Diethylene Glycol and Monoethylether shall not be used as solvent in flavours

64-A Use of anti oxidants emulsifying and stabilising agents and food preservatives in flavour—The flavouring agents may contain permitted anti-oxidants emulsifying and stabilising agents and food preservatives

64B—Use of monosodium glutamate—Monosodium glutamate may be added to an article of food provided the total glutamate content of the ready to-serve food does not exceed 1 per cent It shall not be added to any food for use by the infant below twelve months "

13 After Part XV of the said rules the following Part shall be inserted, namely —

"PART XVI-SEQUESTERING AND BUFFERING AGENTS (ACIDS BASES AND SALTS)

70 Definition of sequestering agents—The sequestering agents are substances which prevent adverse effect of metals catalysing the oxidative breakdown of foods forming chelates, thus inhibiting decolourisation, off taste and rancidity

71 Definition of buffering agents –Buffering agents are materials used to counter acidic and alkaline changes during storage or processing steps, thus improving the flavour and increasing the stability of foods

72 Restrictions on the use of sequestering and buffering agents—Unless otherwise provided in these rules the sequestering and buffering agents specified in column (1) of the Table below, may be used in the groups of food specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in concentration not exceeding the proportions specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table

TABLE

Name of sequestering and buffering agents (1)	Groups of food (2)	Maximum level of use (parts per million) (ppm) (mg/kg) (3)
1 Acetic Acid	(i) Acidulant buffering and neutralising agents in beverages, soft drinks	Limited by G M P
	(ii) in canned baby foods	5 000

1	2	3
2 Adipic acid	Salt substitute and dietary food	250
3 Ammonium Phosphate monobasic	Bread improver in flour	2,500
4 Ammonium Carbonate	As a leavening agent for baked foods, confections	5 000
5 Calcium gluconate	In confections	2 500
6 Calcium Carbonate	As a neutralizer in number of foods	10 000
7 Calcium oxide	As a neutralizer in specified dairy product	2,500
8 Citric acid Malic acid	Carbonated beverage and as an acidulant in miscellaneous foods	Limited by G M P
9 Gluconodelta Lactone	As a leavening agent in cured meat or meat products	5,000
10 DL Lactic acid (food grade)	As acidulant in miscellaneous foods	Limited by G M P
11 Phosphoric acid	Beverages, soft drinks	600
12 Polyphosphate containing less than 6 phosphate moieties	(a) Processed cheese blend	40 000
	(b) Milk Preparations	4,000
	(c) Cake mixes	10,000
	(d) Protein foods	4,000
13 L(+)Tartaric acid	Acidulants	600

Note DI Lactic acid and L(+) Tartaric acid shall not be added to any food meant for children below 12 months (The lactic acid shall also conform to the specification laid down by the Indian Standards Institution)"

14 In Appendix B to the said rules,—

(a) after item A 10 07 the following item shall be inserted, namely —

"A 10 08—Carob powder means the powder obtained from the roasted pods of carob (fibbled carob) of Ceratonia Siliqua (L) Taub (Fam Leguminosae) and shall be free from husk It shall be free from any artificial colouring flavouring, extraneous matter or glazing substance and shall be in sound dry and fresh condition free from rancid or obnoxious flavours

It shall also conform to the following standards, namely —

(i) Total Ash	Not more than 1 2 per cent by weight
(ii) Acid insoluble matter	Not more than 5 per cent by weight
(iii) Tannin content	Not less than 0 1 per cent and not more than 0 15 per cent",

(b) in item A 16 01 A 16 03, A 16 04, A 16 05, A 16 06, A 16 07, A 16 09 and A 16 12, the words and figures "Fumaric acid may be used upto a maximum limit of 0 5 per cent", shall be omitted

(c) in item A 16 02 –

(i) clause (d) shall be omitted

(ii) after clause (d) as so omitted, the following proviso shall be inserted, namely —

"Provided that canned tomato juice may also contain extraneous permitted colour",

(iii) the words and figures "Fumaric acid may be used upto a maximum limit of 0 5 per cent", occurring at the end shall be omitted

Note The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were first published in Part II Section 3 of the Gazette of India vide S R O 2106 dated 12-9-55 and subsequently amended as follows by

1 S R O 1202 dt 25-5 56
2 S R O 1687 dt 28-7-56
3 S R O 2213 dt 28 9 56 (Extraordinary)
4 S R O 2755 dt 24-11 56

The further amendments were published in Part II, Section 3 sub-section (i) of Gazette of India as follows by —

5 G S R 514 dt 28 6-58
6 G S R 1211 dt 20-12-58
7 G S R 425 dt 4-4-60
8 G S R 169 dt 11-2-61
9 G S R 1134 dt 16-9 61
10 G S R 1340 dt 4-11-61
11 G S R 1564 dt 24-11-62
12 G S R 1589 dt 22-10-64
13 G S R 1814 dt 11-12-65
14 G S R 74 dt 8-1-66
15 G S R 382 dt 19 3-66
16 G S R 1256 dt 26-8-67
17 G S R 1533 dt 24-8-68
18 G S R 2163 dt 14-12-68 (Corrigendum)
19 G S R 532 dt 8-3-69
20 G S R 1764 dt 26-7-69 (Corrigendum)
21 G S R 2068 dt 30 8-69
22 G S R 1809 dt 24-10-70
23 G S R 938 dt 12-6-71
24 G S R 992 dt 3-7-71
25 G S R 553 dt 6-5-72
26 G S.R 436 (E) dt 10-10-72
27 G S R 133 dt 10-2-73
28 G S R. 205 dt 23-2-74
29 G S R 850 dt 12-7-75
30 G S R 508 (E) dt. 27-9-75
31 G S R 63 (F) dt 5-2-76
32 G S R 754 dt 29-5-76
33 G S R 856 dt 12-6-76
34 G S R 1417 dt 2-10-76
35 G S R 4(E) dt 4 1-77
36 G S R 18(E) dt 15-1-77
37 G S R 651(E) dt 20-10-77
38 G S R 732 (E) dt 5-12 77
39 G S R 775(E) dt 27-12-77
40 G S R 36 (E) dt 21-1-78
41 G S R 70 (E) dt 8-2-78
42 G S R 238 (E) dt 20 4-78
43 G S R 393 (E) dt 4-8 78
44 G S R 590 (E) dt 23-12-78
45 G S R 55 (F) dt 31-1-79
46 S O 142 (E) dt 16-3-79 (Corrigendum)
47 G S R 231 (E) dt 6-4-79
48 G S R 423 dt 30-6-79 (Corrigendum)
49 G S R 1043 dt 11-8-79 (Corrigendum)
50 G S R 1210 dt 29 9-79 (Corrigendum)

51. G.S.R 19(E) dt. 28-1-80
52. G.S.R. 243 dt. 1-3-80
53. G S.R 244 dt. 1-3-80
54 G S.R. 996 dt. 8-9-80 (Corrigendum)
55. G.S.R. 579 (E) dt 13-10-80
56. G.S.R. 652 (E) dt. 14-11-80
57. G.S.R. 710 (E) dt. 22-12-80
58. G.S.R. 23 (E) dt. 16-1-81
59. G.S.R. 205 (E) dt. 25-3-81 (Corrigendum)
60. G.S R. 290 (L) dt. 13-4-81
61. G S.R. 444 dt. 2-5-81 (Corrigendum)
62. G.S.R. 503 (E) dt. 1-9-81
63 G.S.R. 891 dt. 3-10-81 (Corrigendum)
64. G.S.R. 1056 dt. 5-12-81 (Corrigendum)
65. G.S.R. 80 dt. 23-1-82 (Corrigendum)
66. G.S.R. 44 (E) dt. 5-2-82
67. G.S.R. 57 (E) dt. 11-2-82
68. G.S.R. 245 (E) dt. 11-3-82
69. G.S.R. 307 (E) dt. 3-4-82 (Corrigendum)
70. G.S.R. 386 dt. 17-4-82 (Corrigendum)
71. G.S.R. 422 (E) dt. 24-5-82
72. G.S.R. 476 (E) dt. 29-6-82
73. G.S.R. 504 (E) dt. 20-7-82 (Corrigendum)
74. G.S.R. 753 (E) dt. 11-12-82 (Corrigendum)
75. G.S.R. 109 (E) dt. 26-2-83
76 G.S.R. 249 (E) dt 8-3-83
77 G S R 268 (E) dt 16-3-83
78. G.S R 283 (E) dt 26-8-83
79 G.S.R. 329 (E) dt. 14-4-83 (Corrigendum)
80. G.S R. 539 (E) dt. 1-7-83 (Corrigendum)
81. G S.R 634 dt. 9-8-83 (Corrigendum)
82. G.S R. 743 dt. 8-10-83 (Corrigendum)
83. G S.R. 790 (E) dt. 10-10-83
84 G S.R. 808 (L) dt 27-10-83
85. G.S R. 816 (E) dt 3-11-83
86. G S.R 829 (E) dt. 7-11-83
87. G.S.R 848 (E) dt 19-11-83
88. G.S.R. 893 (E) dt. 17-12-83 (Corrigendum)
89 G.S.R. 113 dt. 20-1-84 (Corrigendum)
90 G.S.R. 500 (E) dt 9-7-84
91 G.S.R. 612 (E) dt 18-8-84 (Corrigendum)
92. G.S.R. 744(L) dt 27-10-84.

[No. P-15014/6/82-PH(F&N)/PFA]
S.V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985